न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :–श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या:–83/2023

प्रार्थीगण::–

1. सांवलराम पुत्र देवाराम जाति कलबी निवासी छियाली तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. हड़मानाराम पुत्र देवाराम जाति कलबी निवासी छियाली तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. कानाराम पुत्र देवाराम जाति कलबी निवासी छियाली तहसील समदडी जिला बालोतरा

–::बनाम::–

विप्रार्थीगण ::–

1. अणसीदेवी पुत्री वोताराम पत्नी छोगाराम जाति कलबी निवासी छियाली हाल भोरडा तहसील आहोर जिल जालोर
2. गवरीदेवी पत्नी वोताराम जाति कलबी निवासी छियाली तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. चुनीदेवी पुत्री वोताराम पत्नी सुजाराम जाति कलबी पाविया निवासी छियाली हाल राखी तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. चम्पाराम पुत्र वोताराम जाति कलबी निवासी छियाली तहसील समदडी जिला बालोतरा
5. बगदाराम पुत्र वोताराम जाति कलबी निवासी छियाली तहसील समदडी जिला बालोतरा
6. रतनाराम पुत्र वोताराम जाति कलबी निवासी छियाली तहसील समदडी जिला बालोतरा
7. हेमाराम पुत्र वोताराम जाति कलबी निवासी छियाली तहसील समदडी जिला बालोतरा
8. एस.बी.आई. शाखा खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा
9. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार समदडी

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–1. श्री गजेसिंह वकील प्रार्थीगण
2. श्री पूनमचद रामदेव वकील विप्रार्थी संख्या 2,4,5 व 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.03 18:48:50 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक:– 25.11.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.सं. 128 रकबा 1–5808 हैक्टेयर ग्राम छियाली तहसील समदडी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की पूर्व दिशा से लगती विप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी भूमि ख.स. 254/129 रकबा 3.7180 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आवागमन हेतु, जो आवेदन

के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थीगण सं. 1 से 7 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। विप्रार्थीगण सं. 1 से 7 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करती हैं, अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण संख्या 2,4,5 व 7 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के तथ्यों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण खातेदारी के खेत के उत्तरी माठ पर स्थित खसरा संख्या 121 व 252/118 के तरफ दक्षिणी माठ–माठ होकर रास्ता आगे गै.मु.सडक तक जाता है जिस पर प्रार्थीगण आवागमन करते है तथा खसरा संख्या 252/118 मौके पर अखडत एवं सार्वजनिक उपयोग के लिये जा रहा है, उक्त अपेक्षाकृत लघु एवं निकट दूरी का रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद विप्रार्थीगण सं. 1 से 7 को अनावश्यक रूप से परेशान करने हेतु उनके खातेदारी खेत में से रास्ते की मांग की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

वकील प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थीगण सं. 1 से 7 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की मौजा छियाली अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 128 रकबा 1–5808 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी भूमि ख.सं. 254/129 रकबा 3.7180 हैक्टयर की पूर्व सीमा पर कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थीगण का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित [illegible] लाल को [illegible] घोषित कर, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण [illegible] रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण सं. 1 से 7 को देने हेतु सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.03 18:48:50 IST
Reason: Self Attested

जबकि विप्रार्थीगण सं. 1 से 7 के विद्वान वकील ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी के आवागमन के लिए प्रार्थीगण के सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 128 के विप्रार्थीगण के खेत के उत्तरी माठ पर लगते 121 व 252/118 भूमियां आई हुई है जो लघुतम व निकटतम इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 252/118 मौके पर अखडत एवं सार्वजनिक उपयोग के लिये जा रहा है प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण सं. 1 से 7 को परेशान करने के लिए उनके खेत में से रास्ते की मांग की गई है, जो वैकल्पिक रास्ते की विद्यमानता के मद्देनजर काबिल खारिज है,

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खसरा संख्या 128 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के खेत खसरा संख्या 254/129 मे से चाहा गया रास्ता रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाए बरंग लाल ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता बताया है। विप्रार्थीगण संख्या सं. 1 से 7 के प्रभावित खसरे की DLC दर 224943/– प्रति हैक्टेयर है एवं रास्ते से प्रभावित भूमि की लम्बाई 70 गट्टा व चौडाई 1.50 गटटा रकबा 0–0664 हैक्टेयर है।

तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम छियाली तहसील समदडी की ख.सं. 128 रकबा 1–5808 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण सं. 1 व 7 की खातेदारी भूमि खं.सं. 254/129 रकबा 3–7180 हैक्टेयर भूमि मे से तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल दर्शित भूमि, जिसकी लम्बाई 70 गट्ठा, चौड़ाई 1.50 गट्ठा एवं रकबा 0–0664 हैक्टेयर है, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित रकबे की डी.एल.सी की दुगनी राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार समदडी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार समदडी द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2024/213 दिनांक 03.05.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 2[illegible] को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.03 18:48:50 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

नजरी नक्शा

मौजा - छितयाली
तहसील - समदड़ी (बालोतरा)
खसरा. 128 में आवागमन हेतु रास्ते की जाँच बाबत।

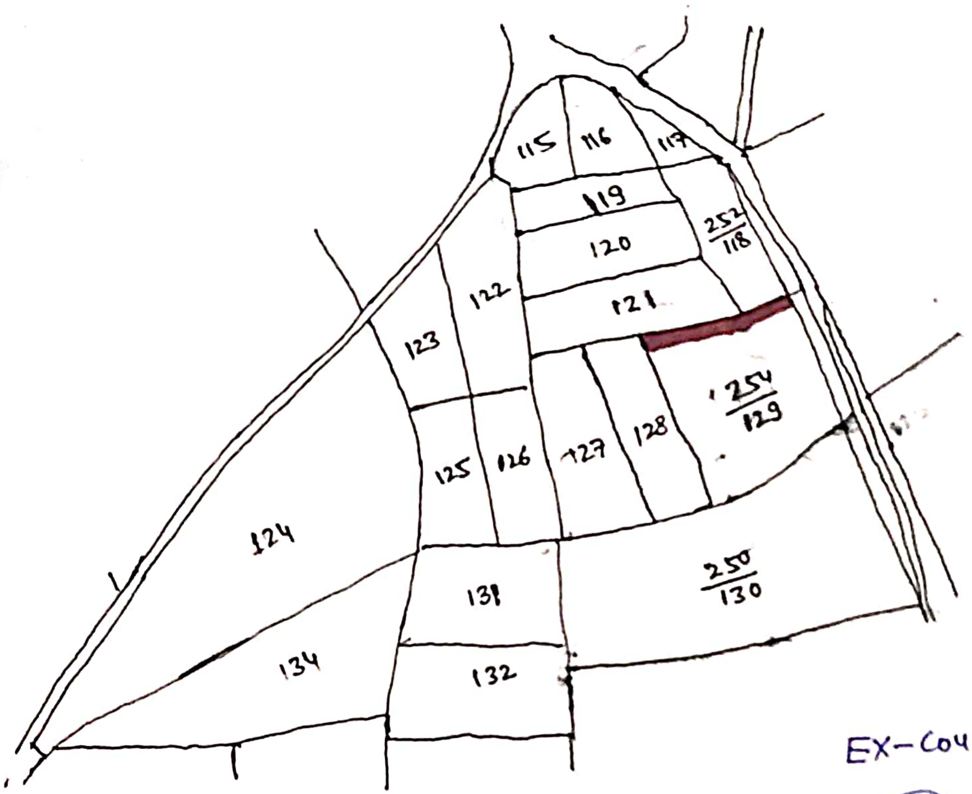

EX-Court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

संकेत:-
■ प्रस्तावित रास्ता।

13/02/2024
प. सेवाली

13/02/2024
ILR ख0054

सांवलराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.03 18:48:50 IST
Reason: SelfAttested

सांवलराम

जिन शब्दो की आवश्यकता न हो काट दिया जाए।